



हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, धर्मशाला-176213
Himachal Pradesh Board of School Education, Dharamshala-176213

Ref. No. H. B./P S (42)SGM/ 2019

Dated: 27. 03.2019

प्रेषक :

सचिव
हि०प्र० स्कूल शिक्षा बोर्ड,
धर्मशाला, जिला कांगडा-176213

प्रेषित:

समस्त मुख्य / उप-परीक्षक
कला-ए
10वीं परीक्षा, मार्च-2019

विषय : 10वीं कक्षा, (नियामित, अनुपूरक, श्रेणी सुधार तथा अतिरिक्त विषय) परीक्षा , मार्च-2019 के कला-ए विषय के प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या सात (7) हेतु कृपांक ।

महोदय/ महोदया,

वार्षिक परीक्षा मार्च-2019 के दौरान 10वीं कक्षा, (नियामित, अनुपूरक, श्रेणी सुधार तथा अतिरिक्त विषय) परीक्षा , मार्च-2019 के कला-ए विषय में प्रश्न संख्या सात (7) में पूछी गई स्केल के पार्श्व की चौड़ाई 80 c.m. दर्शाई गई है जबकि इसकी चौड़ाई 60 c.m. होनी चाहिए थी ।

अतः विषय विशेषज्ञों के परामर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया है कि 10वीं कक्षा, कला-ए के प्रश्न संख्या सात (7) हेतु सभी परीक्षार्थियों को 06 अंक कृपांक स्वरूप प्रदान किए जाएं तथा समस्त परीक्षक , उक्त स्केल का मुल्यांकन करते समय छात्र द्वारा बनाई गई स्केल के पार्श्व भाग की चौड़ाई में यदि अन्तर / त्रुटि पाते हैं, या उसके फलस्वरूप अन्य संभावित त्रुटि को भी नजरअन्दाज करें तथा स्केल के शेष भागों का मूल्यांकन उसके विभिन्न अंगों हेतु आबंटित अंकों के आधार पर ही किया जाए। कृपांक देते समय यह भी ध्यान रखें कि किसी भी छात्र के अंकों का कुल योग अधिकतम 50 अंकों से अधिक नहीं होना चाहिए ।

अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त निर्देशों का अक्षरशः पालन किया जाए ।

बसन्त
सचिव

पृष्ठांकन : यथोपरि

दिनांक : यथेपरि

उपरोक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचना एवं आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित है ।

1. अनुभाग अधिकारी, गोपनीय शाखा-1 को निर्देशित किया जाता है कि वह सभी स्थल मुल्यांकन केन्द्र प्रभारियों के माध्यम से उपरोक्त मुल्यांकन निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित करें।
2. अनुभाग अधिकारी, पुर्नमुल्यांकन शाखा को ,उत्तर पुस्तिकाओं के पुर्नमुल्यांकन के दौरान उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना हेतु प्रेषित है।
3. अनुभाग अधिकारी, पुनः निरीक्षण शाखा को ,उत्तर पुस्तिकाओं के पुनः निरीक्षण के दौरान उपरोक्त निर्देशों की अक्षरशः अनुपालना हेतु प्रेषित है।
4. रक्षक संचिका ।

सचिव